

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सामुदायिक केन्द्रों को जहाँ है जैसा है के आधार पर 10 वर्षों हेतु लीज/अनुबन्ध पर दिये जाने की निम्न नियम व शर्त लागू होंगी।

1. कार्य संचालन की अवधि अनुबन्ध/एम०ओ०य० की तिथि से 10 वर्ष तक निर्धारित किया जाय। निविदादाता द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रति वर्ष प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि निविदित/उद्धृत की जायेगी। प्रत्येक वर्ष के लिए निविदित धनराशि वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व जमा करानी होगी एवं 05 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् छठवें वर्ष में 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ धनराशि जमा करानी होगी। सातवें वर्ष से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए धनराशि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जमा करानी होगी।
2. प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध/एम०ओ०य० की अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व आगामी अनुबन्ध हेतु निविदा आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये।
3. अनुबन्ध/एम०ओ०य० अवधि समाप्त होने की तिथि अर्थात् मध्य रात्रि के उपरान्त प्रातः से संचालक के समस्त अधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाने के फलस्वरूप उसे किसी भी रूप में प्रयोग करने अथवा मौके पर बने रहने का अधिकार नहीं होगा। यदि संचालक फिर भी सामुदायिक केन्द्र में मौके पर किसी भी रूप में बना रहता है तथा अपना सामान नहीं हटाता है तो उसे बलपूर्वक प्राधिकरण द्वारा निष्कासित कर विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रक्रिया में लगने वाली अवधि का हर्जाना ₹ 50,000.00 प्रतिदिन की दर से वसूला जायेगा।
4. योजना/कालोनी के निवासियों को समुचित साक्ष्य जैसे निवास प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा आर०डब्ल्य०ए० की अनुशंसा पर अनुबन्ध/एम०ओ०य० धारक द्वारा निर्धारित बुकिंग धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान की जायेगी।
5. मधुबन बापूधाम योजना के ई० एवं एफ० ब्लॉक के सामुदायिक केन्द्रों को ग्राम सदरपुर के वासियों एवं किसानों के लिए (जिनकी जमीन उक्त सामुदायिक केन्द्रों के लिए अधिग्रहण की गयी है) ₹ 5,000.00 प्रति बुकिंग किराया लिया जायेगा, (156वीं बोर्ड निर्णय दिनांक 06.08.2020 के अनुसार) जिसकी अवधि दिनांक 03 जून, 2020 से 02 जून, 2023 (03 वर्षों) तक रहेगी। यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त निर्णय होता है, तो अनुबन्ध/एम०ओ०य० धारक को मान्य होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्रों हेतु अधिकतम आरक्षित मूल्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तालिका के अनुसार होगा तथा निविदादाता द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर पर बुकिंग नहीं की जायेगी, निर्धारित दरों से कम बुकिंग करने पर प्राधिकरण का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। यदि उक्त शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण को उक्त अनुबन्ध/एम०ओ०य० को निरस्त करने का अधिकार होगा।
7. निविदादाता द्वारा की जाने वाली बुकिंग आदि पर प्राधिकरण का भी नियन्त्रण रखने हेतु बुकिंग ऑन-लाईन की जायेगी तथा उसका लिंक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के साफ्टवेयर/वेबसाईट से किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर भुगतान करना होगा।

अथवा

आवेदक द्वारा कुल बिड मूल्य की 50 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि के समायोजन उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि दो छमाही किश्तों में साधारण ब्याज दर 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

9. अनुबन्ध से पूर्व प्रतिभूति के रूप में ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० जो कि उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में होगी अथवा नकद धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

10. धरोहर के रूप में जमा धनराशि का समायोजन प्रथम वर्ष के किराये में कर लिया जायेगा। अनुबन्ध /एम०ओ०य० अवधि समाप्त होने के उपरान्त कब्जा संतोषजनक रूप से प्राधिकरण को सौंपने पर ही प्रतिभूति के रूप में ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपये मात्र) की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/नकद धनराशि वापिस की जायेगी। सामुदायिक केन्द्र में कोई क्षति होती है, तो क्षति का ऑकलन कर प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि से कटौती/समायोजित कर अवशेष धनराशि वापिस की जायेगी। क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा धनराशि से अधिक है, तो क्षतिपूर्ति की राशि में जमा धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि की वसूली लाईसेंस धारक से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर वसूल की जा सकती है। साथ ही तत्समय उपलब्ध समस्त बुकिंग धनराशि भी प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी। इस सम्बन्ध में लाईसेंस धारक को आपत्ति करने का कोई अधिकार न होगा।
11. किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफाल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस की जायेगी।
12. निविदादाता द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क समय से जमा न करने अथवा एम०ओ०य०/डीड की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध निरस्त करते हुए धरोहर धनराशि बिन्दु संख्या-10 के अनुसार जब्त कर ली जायेगी।
13. द्वितीय पक्ष द्वारा मौके पर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी कि किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न होने पाये तथा पर्यावरण स्वच्छ रहे तथा द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजन हेतु पर्यावरण प्रदूषण रहित रखने के लिए The Noise pollution (Regulation and Control) अधिनियम, 2000 का सम्यक अनुपालन किया जायेगा। पॉलिथीन निर्मित वस्तुओं का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा उसके उल्लंघन पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्ड का भागी होगा।
14. सामुदायिक केन्द्र जैसा है जहाँ है, के आधार पर संचालन हेतु लाईसेंस के आधार पर दिया जा रहा है। सभी आवश्यक साज-सज्जा/इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वितीय पक्ष को स्वयं ही तैयार करने होगे।
15. सामुदायिक केन्द्र के मूल स्वरूप/प्लान को परिवर्तित नहीं किया जायेगा। वनस्पतियों/लॉन/वृक्षों को नष्ट नहीं किया जायेगा। सामुदायिक केन्द्र के अन्दर विज्ञापन के अधिकार (अधिकतम 02 स्थल) एवं पार्किंग संचालन द्वितीय पक्ष के पास रहेगा व लॉन लैण्डस्कैप व सौन्दर्यकरण बरकरार रखने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। पेड़-पौधों एवं लॉन का भलीभांति अनुरक्षण जी०डी०ए० के निर्देशानुसार करते हुए जन-सामान्य को सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
16. द्वितीय पक्ष सामुदायिक केन्द्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम, गेम शो, प्रदर्शनी, लोक कार्यक्रम इत्यादि की बुकिंग भी कर सकेगा एवं युक्तियुक्त किराया निर्धारित कर वसूल कर सकेगा, परन्तु सक्षम स्तर से अनापत्ति एवं अनुमति आवश्यक होगी।
17. कार्यक्रम के दिन संचालक को सामुदायिक केन्द्र में केवल एक अधिकतम 20x20 फुट आकार के किचन/स्टोर का अस्थायी निर्माण टेन्ट द्वारा करने की अनुमति होगी।
18. सामुदायिक केन्द्र का रख-रखाव, जीर्णोद्धार व सौन्दर्यकरण जी०डी०ए० की अनुमति से अनुज्ञाप्तिदाता द्वारा ही किया जायेगा।
19. अनुरक्षण वार्षिक रंगाई-पुताई, विद्युत/जलापूर्ति की फिटिंग/फिक्चरस तथा फर्नीचर आदि की मरम्मत/प्रतिस्थापन अनुज्ञाप्तिदाता द्वारा ही किया जायेगा।
20. सामुदायिक केन्द्र सामाजिक एवं अन्य कार्यों हेतु दैनिक आधार पर आरक्षित किये जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम जिसमें कानून व्यवस्था का प्रश्न निहित है, में जिलाधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
21. गाड़ियों की पार्किंग निर्धारित स्थल पर ही अनुमन्य होगी।

22. यह कि प्रश्नगत स्थल निजी ऐसे उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा, जो संविधान सम्मत न हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असामाजिक एवं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो या देशद्रोह की भावना व्याप्त होने की सम्भावना हो जिससे भारतीय सम्प्रभुता एकता एवं अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या पड़े या किसी समुदाय/धर्म की भावनाओं के आहत होने की सम्भावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।
23. बिजली के उपयोग हेतु विद्युत विभाग से संचालक को अपने नाम से कनेक्शन प्राप्त करना होगा। विद्युत एवं जल तथा सीवर संयोजन के नियमित बिलों का भुगतान एवं अन्य अधिभार/कर संचालक द्वारा किया जायेगा।
24. यह कि किसी भी स्थिति में दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंपा जायेगा, जिसे या तो वे स्वयं अथवा माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा अधिनियम की धारा—11(6) के अन्तर्गत अन्य किसी को स्वतन्त्र विवाचक (आर्बाट्रेटर) नियुक्त करके निर्णय देने हेतु निर्देशित कर सकेंगे तथा उक्त आर्बाट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य एवं विधिक रूप से प्रभावी होगा तथा उक्त पर दी आर्बाट्रेशन एण्ड कन्सीलीएशन एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।
25. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद नगर स्थित मार्ग न्यायालय में निहित होगा तथा प्लेस ऑफ आर्बाट्रेशन भी गाजियाबाद नगर होगा।
26. द्वितीय पक्ष को सामुदायिक केन्द्र जिसके सम्बन्ध में अनुबन्ध निष्पादित हो रहा है उसमें किसी प्रकार का स्वामित्व अथवा पदाधिकार प्राप्त नहीं होगे तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे केवल प्रयोग करने का लाईसेंस प्रदान किया जा रहा है जो किसी भी समय संतोषजनक स्थिति न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विवेकानुसार निरस्त किया जा सकता है, जिसके विरुद्ध द्वितीय पक्ष को किसी चुनौती का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
27. यह कि सामुदायिक केन्द्र स्थल का भौतिक उपयोग हेतु इस विलेख को पंजीकृत कराकर उसकी छायाप्रति एक सप्ताह में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्रस्तुत करनी होगी। इसके उपरान्त ही द्वितीय पक्ष को भौतिक उपयोग की अनुमति होगी।
28. अनुबन्ध की अवधि में जो भी Tax Liability यथा जी0एस0टी0, हाउस टैक्स, विद्युत बिल एवं अन्य करों की देयता अतिरिक्त होगी, वह द्वितीय पक्ष द्वारा ही देय होगा।
29. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्ध विलेख में अंकित सभी नियम एवं शर्तों को मानने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु स्वतंत्र मस्तिष्क से खुद को अवबद्ध करेंगे एवं उसके द्वारा अपनी लिखित सहमति विलेख के माध्यम से प्रदान कर दिये जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये गये जुर्माने का वह देनदार होगा।
30. परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति के प्रति यदि कोई क्षतिपूर्ति/चिकित्सादेयता बनती है, तो देयता द्वितीय पक्ष की होगी।
31. परिसर में कानून/शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले एवं अमर्यादित आचरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही करने की जिम्मेदारी एवं अधिकार द्वितीय पक्ष के पास होगा।
32. द्वितीय पक्ष को सामुदायिक केन्द्र के एक कक्ष में सामान्य सामुदायिक सुविधायें जैस लाईब्रेरी, टेबिल टेनिस, कैरम इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित करनी होगी।
33. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को किसी भी देवीय आपदा अथवा कर्फ्यू आदि की स्थिति में किराये में छूट देने अथवा निःशुल्क आवंटन का अधिकार होगा तत्सम्बन्धी उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आदेश द्वितीय पक्ष को मानना होगा।

34. प्रश्नगत सामुदायिक केन्द्रों के अनुबन्ध उपरान्त यदि आवेदक अनुबन्ध की निर्धारित अवधि से पूर्व अनुबन्ध निरस्त करने का अनुरोध करता है, तो उसकी जमा जमानत राशि जब्त करते हुए तथा तत्समय उपलब्ध बुकिंग राशि प्राधिकरण कोष में जमा करने पर ही अनुबन्ध निरस्त किया जायेगा।
35. इस विलेख में जहाँ-जहाँ शब्द “द्वितीय पक्ष” आया है उसका तात्पर्य अनुज्ञाप्तिग्रहिता से है।
36. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु अनुबन्ध/एम0ओ0यू० धारक द्वारा निर्धारित बुकिंग धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि की छूट प्रदान की जायेगी।
37. उच्चतम बोली पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी० अलग से देय होगी।
38. एन0जी0टी० के आदेशों का अनुपालन द्वितीय पक्ष को सुनिश्चित करना होगा तथा प्रत्येक बुकिंग का 25 प्रतिशत धनराशि समारोहकर्ता से जमा करायी जायेगी, जो समारोह सत्यापन के बाद निरीक्षण उपरान्त वापिस की जायेगी।
39. जिन सामुदायिक केन्द्रों में बैडमिन्टन हॉल आदि की गतिविधि संचालित है, उन सामुदायिक केन्द्रों में यह भाग सम्मिलित नहीं माना जायेगा।
40. नियत अवधि में सूचित धनराशि का भुगतान न करने पर नियमानुसार 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
41. सामुदायिक केन्द्र का अनुबन्ध/एम0ओ0यू० निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क एवं राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, तो भुगतान आवंटी/अनुज्ञाप्तिग्रहिता द्वारा वहन किया जायेगा।
42. यदि किसी कारणवश प्राधिकरण सामुदायिक केन्द्र का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है, तो आवंटी/अनुज्ञाप्तिग्रहिता द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।

सामुदायिक केन्द्रों हेतु 12 घण्टे से कम की बुकिंग पर यथा सूक्ष्म कार्यक्रम हेतु ₹ 15,000.00 + ₹ 1000.00 सफाई कुल ₹ 16,000.00 प्रति बुकिंग निर्धारित है, जिसे यथावत् रखा जा सकता है। उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या 1 पर 12 घण्टे की शर्त अनुमन्य नहीं होगी।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद